



मध्यप्रदेश विधान सभा
संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)
सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1941)
विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.
अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

सदन द्वारा राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई. पूर्वाह्न 11.15 बजे श्री लाल जी टंडन, राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सभा भवन में आगमन हुआ. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण का प्रथम एवं अंतिम पैरा सदन में पढ़ा गया है. शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जायेगा.

राज्यपाल महोदय द्वारा उल्लेख किया गया कि – "मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ यह सलाह देना चाहता हूँ कि प्रदेश की जो स्थिति है, उसमें जिनका जो दायित्व है, वह शांतिपूर्ण एवं निष्ठापूर्वक करते हुए संविधान के द्वारा निर्देशित परम्पराओं एवं नियमों का पालन करें, ताकि मध्यप्रदेश की गौरवपूर्ण लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा हो सके." अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

पूर्वाह्न 11.20 बजे, राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सभा भवन से प्रस्थान किया.

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव की प्रस्तुति

श्री प्रवीण पाठक, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :-

'राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं'

श्री कुणाल चौधरी, सदस्य ने इसका समर्थन किया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि – "राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2020 का समय नियत करता हूँ जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 को अपरान्ह 5 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं."

4. विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – "निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 - डबरा (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती इमरती देवी, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 211 - सांवेर (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री तुलसीराम सिलावट, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 37 - सुरखी से निर्वाचित सदस्य श्री गोविन्द सिंह राजपूत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 28 - बमोरी से निर्वाचित सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 - ग्वालियर से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 142 - सांची (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. प्रभुराम चौधरी द्वारा विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया गया है, जिसे मेरे द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्वीकृत किया गया है."

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष, श्री शिवराज सिंह चौहान एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि राज्यपाल महोदय के द्वारा दिये गये आदेश का अमल नहीं किया जा रहा है. आसंदी ने व्यवस्था दी कि इस संबंध में आपका पत्राचार राज्यपाल महोदय से हुआ है, विधान सभा से नहीं हुआ है. बिना नियम प्रक्रिया से जो बोला जा रहा है, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है.

पूर्वाह्न 11.29 बजे, व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.35 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति) (एन.पी.) पीठासीन हुए.

6. अध्यक्षीय घोषणा

“कोरोना वायरस” जनित विश्वव्यापी महामारी फैलने के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने उल्लेख किया कि समूचे विश्व में कोरोना वायरस का संकट व्याप्त है जो महामारी के रूप में फैल चुका है, इसलिए विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाए. (उल्लेखनीय है कि आज सदन की बैठक के दौरान अनेक लोगों द्वारा मास्क का उपयोग किया गया)

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि – “कोरोना वायरस की महामारी से हम सभी परिचित हैं. डब्लू.एच.ओ. सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दुष्प्रभाव पर चिंता व्याप्त है. भारत सरकार ने भी समय-समय पर इस संबंध में कई एडवायजरी जारी की हैं और इसकी रोकथाम के लिये मध्यप्रदेश सरकार सहित देश के लगभग सभी राज्यों ने कदम उठाये हैं. आप सभी को यह विदित होगा कि इस महामारी के फैलाव को दृष्टिगत् रख कर राजस्थान, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों के विधान सभाओं के चालू सत्र स्थगित कर दिये गये हैं. स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल कर कल सार्क देशों की वीडियो कांफ्रेंस कर इसे महामारी घोषित किया है. विधान सभा सत्र के चलते माननीय विधायकों और लोगों को समूह में रहने या एक दूसरे से मिलने से रोका भी नहीं जा सकता. माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य, अन्य विधान सभाओं द्वारा उठाए गये एहतियाती कदम, भारत सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं व्यापक जनहित को देखते हुए विधान सभा की कार्यवाही 26 मार्च, 2020 तक के लिये स्थगित की जाती है.”

पूर्वाह्न 11.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 (6 चैत्र, शक सम्वत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 16 मार्च, 2020

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा